अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(201)ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/सरंपच ज्ञापन/2015–16 जयपुर, दि. 12 जून, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्र कमांक 27(263)ग्रावि/अनु.–5/जीकेएन/ उपापन/ 2015–16 दिनांक 27.03.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रासंगिक पत्र के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि "वित्त विभाग (जी एण्ड टी) की अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 की पालना मे निर्धारित सीमा राशि 5.00 लाख रूपये में कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति से एक बार में 5 लाख रूपये की लागत की विषयवस्तु का उपापन कर सकेगी। किन्तु किसी वित्तीय वर्ष में उपापन की जाने वाली इस स्वीकृत पद्धति के अंतर्गत कुल उपापन की विषयवस्तु की लागत 50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। यदि श्रम मस्टरोल पर नियमानुसार नियोजित किया जाता है तो वह उपापन सीमा से पृथक माना जा सकेगा। प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी। वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801462 दिनांक 26.03.2018 के अनुसरण में जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।"

उपर्युक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 27.03.2018 के जारी होने के परिणाम स्वरूप पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्र 13.04.2017 के कम संख्या 4 द्वारा किया गया प्रावधान कि "महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 5.00 लाख (श्रम व सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनिय, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार खुली निविदा से ही कराये जा सकेंगे, अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 5.00 लाख (श्रम व सामग्री सहित) से अधिक के निर्माण कार्य के लिए केवल सामग्री का उपापन कर मस्टररोल के आधार पर कार्य कराना अनुमत नहीं होगा।" को स्वतः प्रत्याहरित (Withdrawn) माना जावेगा।

भवदीय,

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव